

THROUGH E-TENDER



RAJASTHAN STATE ROAD TRANSPORT CORPORATION
OFFICE OF THE CHIEF MANAGER RSRTC CENTRAL BUS STAND
JAIPUR

Mobile No.09549653260 Email:-rsrtc.cmcb@yahoo.com

NIB NO. RSRTC/CM/CBSJPR/2026/600

Date:23-04-26

E-NOTICE INVITING BID

Online tender invited for Annual maintenance contract of fire fighting equipment at RSRTC CBS Jaipur as per details given below: -

S. No	Group of Work	Eligibility of firms	Estimated value of Work Rs.	Cost of tender Documents including GST (not refundable) Rs.	Tender Processing Fee including GST (not refundable) Rs.	Bid Security Rs.	Pre-bid meeting date and Last date of tender submission Opening date of Technical bid.
1	Annual maintenance contract of fire fighting equipment at RSRTC CBS Jaipur	Agencies/service provider whose annual turnover is more than estimated value of work and three year relevant work experience	6.00 Lakh	1180/-	500/-	12000/-	29.04.2026 13.00 Hrs 11.05.2026 16.00 Hrs. 12.05.2026 11.00 AM

If any holiday comes on above dates then next working date will be treated for the same. For tendering process bidder shall obtain the user ID and password for participating in e-tendering system through website <https://eproc.rajasthan.gov.in> or from e-procurement cell RISL, YojanaBhawan, Tilak Marg, C- Scheme, Jaipur and contact on (Help Desk be contacted directly in the following mobile nos. **0120-4200462, 0120-4001002, 91-8826246593**. 10.00 AM to 06.00 PM on all working days). The help desk can also be reached by mail support-eproc@gov.in

NOTE:-

1. The detailed notification/tender documents can be downloaded from website <https://eproc.rajasthan.gov.in> Details of this tender notification and pre-qualification criteria can also be seen in NIT exhibited on website <http://transport.rajasthan.gov.in/rsrtc> also <https://sppp.raj.nic.in> Tenders are to be submitted online in electronic format on website <https://eproc.rajasthan.gov.in>
2. Corrigendum's/ modifications/ corrections if any will be published on the website <https://eproc.rajasthan.gov.in>
3. Conditional / incomplete tender will be rejected.

4. Bidders who wish to participate in this tender will have to register on <https://eproc.rajasthan.gov.in> (Bidders registered on <https://eproc.rajasthan.gov.in> before request of tender documents. To participate in online tenders Bidders will have to procure digital signature certificate (type II or type III) as per information technology Act-2000 using which they can sign their Electronic Bids. Bidders can procure the same from any CCA approved certifying agency i.e. TCS safecrypt, Ncodeetc or they may contact e-procurement cell, Department of IT & c, government of Rajasthan for further assistance. Bidders who already have a valid Digital Certificate need not procure a new Digital Certificate.
5. Bidders shall submit their offer online in Electronic formats both or technical and financial proposal, however Demand Draft for Tender Fees, Processing fees and bid security should be submitted manually or through courier in the office of Chief Manager, rsrtc central bus stand Jaipur before last date & time of opening of technical /price bid and scanned copy of Demand Draft should also be uploaded along with the online bid.
6. The Procuring Entity reserves the right to accept or reject any or all the tenders without assigning reasons thereof. The quantity of works can be increased or decreased without assigning any reasons.
7. RSRTC reserves the right for verification of any information / documents furnished by the bidder in the interest of the corporation.
8. Bid security in the shape of demand draft payable to "CM RSRTC CBS JAIPUR " should be submitted before opening of bid.
9. Tender fee in the shape of demand draft payable to CM RSRTC CBS JAIPUR, Jaipur should be submitted before opening of bid.
10. Before electronically submitting the tenders it should be ensured that all the tender papers including conditions of contract are digitally signed by the tendered.
11. Training for the Bidders on the usage of e-tendering system is also being arranged by RISL on regular basis. Bidders interested on training may contact e-procurement cell RISL for booking the training slot.
12. Bidders are also advised to refer "Bidders manual" available under "downloads" section for further details about the e-tendering process.

Tender documents can be downloaded from online website <https://eproc.rajasthan.gov.in> If Tendered wish to participate in the tender then they have to make a payment of Tender Processing Fee as mentioned in the above table in form of Demand Draft in favour of " Managing Director, RISL through courier or by personnel one day before the last date and time of the request of tender documents and also tender document fee, bid security which is mentioned in the above table be submitted to RSRTC in the form DD in favour of "CM RSRTC CBS JAIPUR" payable at "Jaipur" for tender document fee and in favour of "CM RSRTC CBS JAIPUR" payable at "Jaipur" for bid security and be delivered to the under signed one day before last date and time of the submission of the tender. If any bidder wishes he can forward/submit hard copy of the offer also but soft copy of tender documents is mandatory hard copy of financial bid will not be accepted.

For further details you can visit online website <https://eproc.rajasthan.gov.in> or from e-procurement cell RISL, YojanaBhawan ,Tilak Marg, C- Scheme , Jaipur-302005 and contact on (Help Desk be contacted directly in the following mobile nos. **0120-4200462, 0120-4001002 , 91-8826246593.** 10.00 AM to 06.00 PM on all working days).The help desk can also be reached by mail support-eproc@gov.in.


(Rakesh Rai)
CHIEF MANAGER
RSRTC CBS JAIPUR

तकनीकी निविदा आवेदन

(Technical Bid Application)

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम सी.बी.एस. आगार,जयपुर

क्रमांक :-

दिनांक:

मुख्य प्रबंधक
राजस्थान परिवहन निगम ,
सी.बी.एस. आगार जयपुर,

विषय:- राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि सी.बी.एस. आगार जयपुर, स्थित नवनिर्मित भवन में अग्निशमन प्रणालियों के रखरखाव और मरम्मत कार्य बाबत।

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम कि सी.बी.एस. आगार जयपुर, स्थित नवनिर्मित भवन में अग्निशमन प्रणालियों के रखरखाव और मरम्मत कार्य के सम्बंध में लोकप्रिय समाचार पत्र दिनांकमें व राजस्थान राज्य लोक उपापन पोर्टल प्रकाशित विज्ञापन के क्रम में निम्नानुसार बोली प्रपत्र प्रेषित है । बोली प्रपत्र की फीस राशि 1180/- (नान रिफण्डेबल) रसीद संख्या/डी.डी संख्या दिनांक

सामान्य विवरण

1	फर्म/कम्पनी/व्यक्ति का नाम	
2	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति का स्थाई पता	
3	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति का दूरभाष न./ मोबाईल न./ई-मेल	
4	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति का पत्र व्यवहार का पता	
5	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति का जी.एस.टी. नम्बर	
6	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति का पेन कार्ड न. मय फोटो प्रति	
7	फर्म/कम्पनी/ व्यक्ति द्वारा फार्म हेतु निगम कोष (मुख्य प्रबंधक , सी. बी.एस. आगार जयपुर) में जमा करायी राशि 1180/ रुपये कि रसीद/ डी.डी. नम्बर व दिनांक	
8	डी.डी. नम्बर व दिनांक निविदा सुरक्षा राशि 12000/- (CM ,RSRTC CBS JAIPUR)	

1. कार्य (Scope of Work)

निम्नलिखित सूची व विवरण अनुसार विभिन्न कार्य करवाये जाने प्रस्तावित है:-

क्र.सं.	कार्य का नाम	कुल वार्षिक लागत
1	अग्निशमन प्रणालियों के रखरखाव और मरम्मत कार्य जैसे फायर अलार्म सिस्टम, पीए सिस्टम, टॉक बैक, सिस्टम, हाइड्रेंट और रिसर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, डीजल इंजन पंप, वेट राइजर पंप, स्प्रिंकलर पंप, जॉकी पंप, डिवाटरिंग पंप एवम् सबमर्सिबल पंप के साथ मरम्मत और प्रतिस्थापन एवम् फायर फाईटिंगक सिस्टम में लगे हुए समस्त प्रकार के उपकरणों के आवश्यक पुर्जों/घटकों की नियमित सेवाओं की तत्काल आधार पर व्यवस्था/आपूर्ति	6000000
	कुल	600000/-

2. पात्रता व मूल्यांकन मापदण्ड (Eligibility and Evaluation Criteria)

(प) सेवा प्रदाता हेतु पात्रता के निर्धारित मापदण्ड (Eligibility criteria for service provider)

सेवा प्रदाता का वार्षिक टर्नओवर इस निविदा की लागत के बराबर या अधिक होना चाहिए एवं जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन होना चाहिए तथा सेवाप्रदाता के पास सम्बंधित निविदा में कार्य का न्यूनतम तीन वर्ष का उचित अनुभव होना चाहिए।

(ii) मूल्यांकन मापदण्ड (Evaluation Criteria)

वित्तीय निविदा में दी गई न्यूनतम दर ही मूल्यांकन का मापदण्ड होगी।

3. निविदादाताओ को निर्देश (Instruction to bidder)

(I) प्री-बिड मिटींग (Pre bid Meeting)

निविदा प्रस्तुत करने से पूर्व प्री-बिड मिटींग का आयोजन मुख्य प्रबंधक , सी.बी.एस. आगार जयपुर में किया जावेगा । प्री-बिड मिटींग में शामिल होने वाली फर्म को टेण्डर फीस रुपये 1180 नगद जमा की रसीद साथ लेकर आना होगा । बिना टेण्डर फीस के प्री-बिड मिटींग में शामिल नहीं किया जावेगा।

(II) निष्पादन सुरक्षा (Performance Security)

सफल निविदा दाता को टेण्डर की अनुमानित राशि का 5 प्रतिशत राशि सुरक्षा राशि के रूप में निम्नानुसार जमा करानी होगी

(i). डी.डी. (CM ,RSRTC CBS JAIPUR) अथवा

(ii). बैंक गारण्टी

निष्पादन सुरक्षा राशि अनुबन्ध के सफलतापूर्वक खत्म/पूरा होने के 06 माह पश्चात लोटाई जावेगी। निष्पादन सुरक्षा राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

(iii). यदि फर्म द्वारा आशय पत्र (LOI) जारी होने के 15 दिवस के भीतर कार्य प्रारंभ/अनुबंध नहीं किया जाता है। तो बिड सुरक्षा राशि/ निष्पादन सुरक्षा राशि (जो भी लागु हो) जब्त कर ली जावेगी।

(III) निविदा सुरक्षा (Bid Security)

निविदादाताओ को टेण्डर की अनुमानित कीमत का 2 प्रतिशत राशि निविदा सुरक्षा के रूप में निम्नानुसार जमा करानी होगी।

(i). डी.डी. (CM ,RSRTC CBS JAIPUR) अथवा

(ii). बैंक गारण्टी

निविदा सुरक्षा राशि ,निविदा प्रक्रिया पूर्ण होकर अनुबंध पत्र व कार्यादेश जारी होने के पश्चात लोटाई जावेगी। निविदा सुरक्षा पर कोई ब्याज देय नहीं होगा। सफल निविदादाता/ अनुबंधकर्ता द्वारा डी.डी. द्वारा जमा कराई गई निविदा सुरक्षा (Bid Security) को निष्पादन सुरक्षा (Performance Security) में भी समायोजित की जा सकती है।

(IV) Code of Integrity

आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानों व वर्णित नियमों के अनुसार

(V) Conflict of Interest

आर.टी.पी.पी. एक्ट के प्रावधानों व वर्णित नियमों के अनुसार

(VI) सेवा के दौरान शिकायत निवारण (Grievance Handling Procedure during service)

आर.टी.पी.पी. एक्ट में के प्रावधानों व वर्णित नियमों के अनुसार

- (i) प्रथम अपीलीय अधिकारी का पद नाम कार्यकारी निदेशक (प्रशासन)
- (ii) द्वितीय अपीलीय अधिकारी का पद नाम प्रबंध निदेशक

4. **मध्यस्थता उप नियम (Arbitration Clause)**

- a) Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
- b) Arbitration: If the second party (lessee/contractor etc.) does not wish to take recourse to the dispute resolution mechanism outlined vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017 referred to above, or if the second party is not satisfied with the decision of the Standing Committee constituted there under, then such dispute or difference relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof shall be settled by a Sole Arbitrator to be appointed by the first party (Rajasthan State Road Transport Corporation) following the qualifications and disqualifications laid down under Section 12 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended.
- c) सभी न्यायिक प्रक्रिया यदि आवश्यक हो, का क्षेत्राधिकार जयपुर जिले का होगा।

5. **भुगतान (Payment)**

अनुबंधकर्ता द्वारा किये गये कार्य के बदले भुगतान 30 कार्य दिवस में किया जावेगा। इस से अधिक देरी होने पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जावेगा।

6. निविदा प्रपत्र एवं अन्य प्रपत्र जो निविदा दाता द्वारा प्रस्तुत करने हैं।

(i) **MANDATORY DOCUMENTS**

- 1. टेण्डर फीस की डी.डी.
- 2. अमानत राशि की डी.डी. व बैंक गारण्टी
- 3. प्रोसेसिंग फीस की डी.डी.

(i i) NECESSARY DOCUMENTS

1. टेण्डर नियम एवं शर्ते (हस्ताक्षरित)
 2. जी.एस.टी. रजिस्ट्रेशन प्रपत्र(प्रतिलिपि)
 3. कार्य अनुभव प्रमाण पत्र
 4. दिवालियापन न होने का घोषणा पत्र
 5. ब्लैक लिस्टेड न होने का घोषणा पत्र
 6. आर.टी.पी.पी. एक्ट के भाग 7 एवं 11 का घोषणा पत्र
 7. नवीनतम वार्षिक बेलेसंशीट या वार्षिक टर्नओवर प्रमाण पत्र (सी.ए.द्वारा प्रमाणित)
7. तकनिकी निविदा के स्वीकार होने पर ही वित्तीय निविदा खोली जावेगी।
8. दरे बी.ओ.क्यू (BOQ – bill of quantity) मे सलंगन प्रारूपानुसार में देनी होगी।

नियम और शर्तें

निम्नलिखित शर्तों का सख्ती से पालन करते हुए. विक्रेता को अनुबंध दिया जाएगा:—

1. सफल निविदादाता को अनुबंध पत्र 500 रूपए के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर भरकर प्रस्तुत करना होगा।
2. अग्निशमन प्रणालियों के रखरखाव और मरम्मत कार्य जैसे फायर अलार्म सिस्टम, पीए सिस्टम, टॉक बैक, सिस्टम, हाइड्रेंट और रिसर सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम, डीजल इंजन पंप, वेट राइजर पंप, स्प्रिंकलर पंप, जॉकी पंप, डिवाटरिंग पंप एवम् सबमर्सिबल पंप के साथ मरम्मत और प्रतिस्थापन एवम् फायर फाईटिंगक सिस्टम में लगे हुए समस्त प्रकार के उपकरणों के आवश्यक पुर्जों/घटकों की नियमित सेवाओं में बाधा डाले बिना तत्काल आधार पर व्यवस्था/आपूर्ति की जाएगी विवरण निम्नप्रकार से है:—

No.	details	Scope of Work
Maintenance & repairs works of fire fighting systems Viz Fire Alarm system, PA system, talk back, system, hydrant & riser system, sprinkler system, with diesel engine pump, wet riser pump, sprinkler pump, Jockey pump, dewatering pumps, two submersible pumps.		
1.	(a) Fire Electrical Control Panels (b) Hydrant pump (Driven man fire pump) (c) Ele. Jockey pump (D) Booster Pump	Proper Checking for functioning of the pumps, pressure testing, maintenance etc. complete. (Including Electrical Repairs but necessary assistance to get the system in order if required)
2.	Fire Hydrant System	<ol style="list-style-type: none"> a. Checking of system leakage & line pressure in all gauges b. Checking of hoses and Branches pipes & operation of all auxiliary units c. Checking the setting of the pressure switches and all the pumps by operating d. Checking of hydrant valves washers and Brass lock e. Starting the Pump manually through the control panels f. Operating the pumps in Auto Mode and checking the System g. Checking of isolation valves for glands leakages h. Checking up Diesel in stock, battery connections and Fluid level, correct it, if necessary i. In case of issuing maintenance report to Customer and advising the customer about deficiency
3.	Fire Sprinkler Pump	<ol style="list-style-type: none"> a. Checking of system leakage & line pressure in all gauges b. Checking of alarm valve and all the pumps c. Cleaning of sprinkler if accumulated by dust d. Checking of isolation valves and operation of all auxiliary unit e. Checking of sprinkler Bulb head for proper conditions
4.	Fire Jockey Pump	a. Servicing, Overhauling, checking and testing of pump
	Booster Pump-	a. Servicing, Overhauling, checking and testing of pump
5.	Fire Extinguisher	a. Refilling, Servicing, checking, validating etc. complete
6.	Fire doors and Bucket	a. Servicing, checking, greasing and painting
7.	Fire Hydrant with hose reel	a. Checking including hose pipe, hose reel drum, jet shut off Nozzle, Branch pipe nozzle, cabinet door servicing, cleaning, painting, installation changing of gasket/ nut bolts if required.
8.	Fire Hydrant single	a. Checking including hose pipe, hose reel drum, jet shut off Nozzle, Branch pipe nozzle, cabinet door servicing, cleaning painting, installation changing of gasket/ nut bolts if required.
9.	Air vessel	a. Checking including servicing, cleaning of pressure gauge, pressure switches, ball valves, piping servicing, installation and painting.
10.	Sprinkler Valve	a. Servicing, cleaning, installation, flashing attending minor leakages.
11.	Siamese connection	a. Servicing, checking, greasing and painting.

12.	Pipe Line (Including all risers)	a. For Hydrant pump, Sprinkler pump, Jockey Pump, Booster pump, including butter fly valves, NRV, CI Brackets and hook bolts,/ sprinkler system, alarm Bell, Servicing, checking, greasing and painting and replacement of gaskets if required attending minor leakages, Flashing, testing, commissioning both system.
13.	Spare parts	a. Required material/ spare for repairing, new work as per approved unit rate/ actual invoice/cash memo of materials.
14.	Daily Inspection	Experienced person holding fireman licence.
16.	Smoke alarm system	Each and every smoke alarm should be functional according to system design and arrangement should be such that any fault occurring in any of smoke alarm, connection breakage or panel problem may be identified automatically and repaired/replaced immediately.
17.	PA system/Fire detection system/Fire protection system/Fire Alarm Panel	Must be operational 24 hours. Should be checked, maintained& tested everyday
18.	DG set	Servicing as and when required from the authorized agency/operation as and when required/regular checkup

3. फायर फाईटिंग सिस्टम का सम्पूर्ण हर समय पूरी तरह से चालू और क्रियाशील रखने की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी। यदि पूर्ण प्रणाली को यथासंभव अपरिहार्य कारण से कार्यात्मक नहीं रखा जा सकता है, तो दोषपूर्ण खंड की दुरुस्त होने तक शेष समस्त सिस्टम को अलग करके कार्याशील रखने की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
4. निगम द्वारा चयन के लिए विचार किए जाने के लिए, बोलीदाताओं को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:-

S.No.	Pre-Qualification Criteria	Supporting Documents
1	Bidder must have a minimum of 3 years experience in Comprehensive AMC of Fire Fighting System Bidder must have executed minimum three (03) similar assignments in Govt. Firms/ Public Sector undertakings in last 3 Financial years ending 31.03.2025	Copies of Work Orders & Completion Certificates indicating proof of having requisite Experience.
2	Bidder should have minimum Turnover of Rs. 30 Lacs per annum in last three years (2022-23, 2023-24 and 2024-25).	Audited/ Certified financial statements & filed ITR to be submitted.
3	The Bidder should never have been blacklisted / barred / disqualified by any govt body in the past public sector undertaking	Self-Declaration
4	The Bidder should have valid ISO 9001:2015 Certificate	Certificate to be submitted

5. अग्निशमन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए निम्नलिखित बातों का ध्यान अनिवार्य रूप से रखा जाना आवश्यक होगा:-
- यूजी टैंक में 24 घंटे पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
 - सफल निविदादाता यह सुनिश्चित करें की पाइपिंग सिस्टम रिसाव से मुक्त है। लीक होने वाले किसी भी हिस्से को कम से कम समय में अलग करने उनको सुधार, मरम्मत, बदलकर उसे फायर फाईटिंग सिस्टम की प्रणाली से जोड़ना आवश्यक होगा।
 - सफल निविदादाता यह यह सुनिश्चित करेंगे की सभी पंप अच्छी स्थिति में हैं। किसी भी पंप के खराब पाए जाने पर वाल्वों को बंद करके अलग करके उसे अलग किया जाना चाहिए और तुरंत अटेंड किया जाना चाहिए और न्यूनतम समय में पुनः वाल्व को सही कर/बदलकर तुरन्त लगाया जाना चाहिए।
 - बिजली के पंपों, स्टार्टर्स, स्विचगियर और अन्य बिजली के घटकों का सुव्यवस्थित संचालन एवम् उनकी मरम्मत, बदलने का कार्य।
 - डीजल इंजन स्टार्टिंग सिस्टम, बैटरी वोल्टेज, बैटरी चार्जर और इंजन संचालन के लिए पर्याप्त डीजल की उपलब्धता सफल निविदादाता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।

- आंतरिक और बाहरी हाइड्रेंट्स के सभी लैंडिंग वाल्वों की जांच करना, वाल्वों को अलग करना और जब भी आवश्यक हो दोषपूर्ण लोगों को बदलना सफल निविदादाता द्वारा सुनिश्चित की जायेगी।
6. फायर फाईटिंग सिस्टम के सुव्यवस्थित संचालन हेतु समय-समय पर परीक्षण की आवश्यकता को पूरा करने और सिस्टम की जाँच करने के लिए विभिन्न गतिविधियों और उनकी अवधि को तालिका सारणीबद्ध किया गया है:-

PERIODICAL TESTING AND MAINTENANCE CHART

Sr.No	System Component	Activity	Duration
1	Water Tanks	(i) Level Check	Daily
		(ii) Cleaning	Once in a year
2	Pumps	(i) Running	Daily
		(ii) Test flow	Quarterly
		(iii) Lubrication	Quarterly
3	Engine	(i) Running	Daily
		(ii) Lubrication	Quarterly
		(iii) Battery	Weekly
		(iv) Fuel Tank/Radiator	Daily
		(v) Servicing	As per engine manufacturer's recommendations
4	Motor	(i) Running	Daily
		(ii) Starter	Weekly
		(iii) Insulation Resistance	Twice in a year
5	Piping	(i) Pressure	Weekly
		(ii) Flushing	Once in a year
6	Valves (landing and isolation)	(i) Operation	Monthly
7	Control System	(i) Operation	Monthly
		(ii) Connection and System Components	Quarterly
8	Hose Reel and Hose Pipes	(i) Physical check	Weekly
		(ii) Operation check	Quarterly
		(iii) Replacement	Depending upon physical condition,
10	Instantaneous coupling	(i) Physical Check	Monthly
		(ii) Lubrication	Once in Six Months
11	Painting	(i) Out Door	Once in a year
		(ii) In door	Once in a year
12	Mock drill	To be carried out	Once in Six Months

फायर फाईटिंग सिस्टम के सुव्यवस्थित संचालन हेतु सम्पूर्ण प्रकार के कार्य व रखरखाव की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी निगम द्वारा इसके लिए पृथक से किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।

स्वचालित छिड़काव प्रणाली का रखरखाव

- स्प्रिंकलर की मरम्मत नहीं की जाएगी। पुराने/या खराब स्प्रिंकलर अथवा गमी या अन्य किसी भी कारण से खराब/क्षतिग्रस्त स्प्रिंकलर को सफल निविदादाता द्वारा उसे स्वयं के व्यय पर बदलना होगा।
- स्थापना के बाद स्प्रिंकलर को पेंट नहीं किया जाना चाहिए।
- स्पेयर स्प्रिंकलर – फायर कंट्रोल रूम में स्पेयर स्प्रिंकलर का स्टॉक रखा जाएगा ताकि स्प्रिंकलर हेड के संचालन/क्षति के बाद शीघ्र प्रतिस्थापन संभव हो सके। स्थापित क्षमता का न्यूनतम 5 प्रतिशत जो भी अधिक हो, को स्टॉक में रखा जाएगा।
- स्प्रिंकलर के लिए स्पेनर और टेपलॉन टेप को अतिरिक्त स्प्रिंकलर के साथ तैयार रखा जाएगा। निष्क्रिय भाग, यदि दोषपूर्ण है तो उसे बदला जायेगा।
- स्प्रिंकलर के संचालन के बाद, संचालित हेड को नए से बदल दिया जाएगा और पानी की आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी।

12. भवन में यदि स्प्रिंकलर/स्प्रिंकलर की लाइन में स्थान परिवर्तन किया जाता है तो लाइन परिवर्तन का समस्त कार्य सफल निविदादाता को अपने स्वयं के व्यय पर सम्पादित करना होगा। जिसके लिए निगम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. यदि भवन में किसी भी प्रकार की आगजनी अथवा आग लगने जैसी घटना होती है तो सफल निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा की विद्युत सप्लाई पूर्ण रूप से बंद हो गई है।
14. यदि नवीन भवन में किसी भी प्रकार की आग लगती है तो आग पूरी तरह बुझने तक स्प्रिंकलर पंप को बंद नहीं किया जाएगा। पंप का चालू होना स्वचालित होगा लेकिन आग बुझने के बाद पंप को मैन्यूवली बंद किया जायेगा। कम से कम 1 महीने की अवधि के बाद स्थिति निर्धारित हेतु सभी पाइपिंग की जांच की जाएगी।
15. फायर फाईटिंग सिस्टम में लगे सभी प्रकार के वाल्वों और सम्बद्ध उपकरणों की सालाना सर्विसिंग और जांच की जाएगी। तीन माह में कम से कम एक बार स्प्रिंकलर का डिस्चार्ज टेस्ट किया जाएगा।
16. सिस्टम का मैन्युअल परीक्षण छह महीने में एक बार किया जाएगा।
17. जब सिस्टम संचालन या परीक्षण के बाद सामान्य रूप से खुले वाल्व बंद हो जाते हैं, तो यह सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रक्रिया स्थापित की जाएगी कि वे वाल्व फिर से खुले हैं।
18. पूरे सिस्टम को साल में कम से कम दो बार फ्लश करना आवश्यक होगा।
19. स्प्रिंकलर बल्बों को पेंट या धूल से मुक्त रखा जाएगा।
20. स्प्रिंकलर के रखरखाव एवम् परीक्षण योजनाबद्ध और व्यवस्थित तरीके से किया जाएगा और उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा एवम् प्रशिक्षित कर्मियों को ही काम में लगाया जाएगा।
21. सफल निविदादाता द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि अलार्म सिस्टम काम करने में सक्षम है इस हेतु सप्ताह में एक बार, एक ज़ोन सर्किट पर कम से कम एक ट्रिगर डिवाइस को नियंत्रण की क्षमता का परीक्षण करने और संकेत प्राप्त करने के लिए और अलार्म बजने और अन्य चेतावनी उपकरणों को संचालित करने के लिए इंगित करने के लिए संचालित किया जाएगा। यदि किसी सिस्टम पर एक से अधिक ज़ोन हैं, जिनमें बिना निगरानी वाले वायरिंग हैं, तो प्रत्येक गैर-निगरानी क्षेत्र का प्रत्येक सप्ताह परीक्षण किया जाएगा,
22. सफल निविदादाता द्वारा यह निरीक्षित किया जायेगा कि ट्रिगर डिवाइज, मैन्युअल कॉल पॉइंट्स, स्मोक डिटेक्टरों और हीट डिटेक्टरों सही प्रकार से कार्य कर रहे हैं यदि उनमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है तो किसी भी त्रुटि के सम्बन्ध की गई रिपोर्ट को लॉगबुक में दर्ज किया जाएगा और इसे ठीक करने के लिए कार्रवाई की जाएगी।
23. फायर फाईटिंग सिस्टम के समस्त उपकरणों, डिटेक्टरों पर जमा हुई धूल या धूल को हटाने के लिए समय-समय पर नियमित रूप से सफाई सफल निविदादाता को करवानी होगी।
24. सफल निविदादाता को एएमसी अनुबंध की शुरुआत में अग्निशमन प्रणाली का प्रशिक्षण, सिस्टम संचालन और फायर फाईटिंग सिस्टम के संचालन की मासिक रिपोर्ट मासिक के साथ जिस पर एजेंसी के जिम्मेदार व्यक्ति के प्रतिहस्ताक्षर हो प्रस्तुत करनी होगी।
25. सफल निविदादाता को फर्म के जिम्मेदार व्यक्ति के प्रतिहस्ताक्षर के साथ मासिक रिपोर्ट के आधार पर वार्षिक रिपोर्ट और अग्निशमन प्राधिकरण के साथ लाइसेंसिंग सहित स्थानीय अग्निशमन प्राधिकरण को आवश्यक रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
26. सफल निविदादाता को फायर मैन्युअल के आधार पर निरीक्षण रजिस्टर का रखरखाव करना अनिवार्य होगा

27. सफल निविदादाता के कार्मिक के पास फर्म का आई.डी कार्ड एवम् अपना मोबाइल नम्बर आवश्यक रूप से तकनीकी/स्थान प्रभारी को प्रस्तुत करना होगा तत्पश्चात् ही उसे कार्य करने की अनुमति प्रदान की जायेगी।
28. सफल निविदादाता को प्राप्त शिकायत पर त्वरित कार्यवाही करनी होगी। आपातकालीन कॉल को तुरंत अटेंड किया जाएगा एवम् आवश्यक पुर्जा/घटकों की नियमित सेवाओं में बाधा डाले बिना तत्काल आधार पर व्यवस्था/आपूर्ति की जाएगी।
29. सभी प्रकार के पंपों , पंपों में लगे पाईप, पाईप की पैकिंग, सभी प्रकार के वाल्वों को अच्छी स्थिति में बनाए रखा जाएगा और उनमें किसी भी तरह के रिसाव को तुरंत रोका जाएगा। नॉन-रिटर्न वाल्व के सही प्रकार से काम करने की नियमित रूप से विशेष जांच की जानी चाहिए। बियरिंग कैप की साप्ताहिक जांच की जाएगी और टॉप अप सफल निविदादाता द्वारा किया किया जाएगा।
30. फायर फाईटिंग सिस्टम के संचालन में लगे हुए उपकरणों में यदि ऑयलिंग, ग्रीसिंग की आवश्यकता है तो उसके सफल निविदादाता द्वारा बदला जायेगा। सभी प्रकार के स्टार्टर की साप्ताहिक जांच की जाएगी और यदि आवश्यक हो तो उन्हें बदला जाएगा। मोटरों के इन्सुलेशन प्रतिरोध/उपकरण अर्थिंग की 6 महीने में एक बार जांच की जाएगी और रिकॉर्ड बनाए रखा जाएगा। डीजल इंजन, बैटरी, चार्जर के स्टार्टिंग मैकेनिज्म की नियमित रूप से जांच सफल निविदादाता द्वारा की जायेगी।
31. जहां तक संभव हो सभी डीजल इंजन चालित अग्निशमन पंपों के लिए आरंभिक क्रियाविधि और उसके सहायक उपकरण एक समान होने चाहिए। तत्काल प्रतिस्थापन के लिए कम से कम एक सेट विकल्प उपलब्ध होगा। फायर पम्प रूम के लगे डीजल टैंक की हर दिन जांच की जाएगी और पूरी क्षमता से बनाए रखा जाएगा।
32. सफल निविदादाता द्वारा प्राइम टैंक में पानी के लेवल की नियमित जांच की जाएगी।
33. नेगेटिव सक्शन की स्थिति में, फुट-वाल्व के लीक होने से पंप को शुरू करने में गंभीर समस्या हो सकती है। प्राइमिंग टैंक के लिए स्वतंत्र भरने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी और हर दिन जांच की जाएगी।
34. फायर पम्प रूम में उपलब्ध कराए गए सम्बरसिबल पम्प को भी अच्छी कार्यशील स्थिति में रखने का दायित्व सफल निविदादाता का होगा।
35. एक निविदाकर्ता को यह माना जाएगा कि उसे नवीन भवन में स्थित फायर फाईटिंग सिस्टम की सम्पूर्ण जानकारी है चाहे वह उसका निरीक्षण करता है या नहीं। निविदाकर्ता निविदा के सभी दस्तावेजों और निविदा की शर्तों और अनुबंध की सावधानीपूर्वक जांच करने के बाद ही अपनी निविदा प्रस्तुत करेगा।
36. फायर फाईटिंग सिस्टम के संचालन के सम्बन्ध जो भी शिकायते दर्ज की जायेगी/दूरभाष पर सूचित किया जायेगा सफल निविदादाता को सभी शिकायतों का निस्तारण कर फायर फाईटिंग सिस्टम के संचालन सुव्यवस्थित रखना होगा।
37. इस अनुबंध के दायरे में सभी बड़ी और छोटी मरम्मत शामिल हैं। जिसके एवज में किसी भी प्रकार का भुगतान निगम द्वारा नहीं किया जायेगा।
38. सफल निविदाकर्ता सभी मंजिलों पर अग्निशमन प्रणाली के संचालन के लिए आगार के उच्च प्रबन्धन एवम् तकनीकी अधिकारी के साथ नियमित समन्वय रखेगा।
39. सफल निविदादाता भवन को खाली करने की योजना बनाएगी और कार्यादेश दिए जाने के बाद उसे जमा करेगी।
40. सफल निविदादाता को छह महीने में एक बार मॉक ड्रिल करनी चाहिए।
41. अग्निशमन विभाग से एनओसी/फिटनेस प्रमाण पत्र लेने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।
42. साल में दो बार एनओसी लेने के लिए बी फॉर्म जमा करना पार्टी की सम्पूर्ण जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी।

43. सफल निविदादाता यह सुनिश्चित करेगा कि एनओसी/फिटनेस प्रमाण पत्र के नवीनीकरण की प्रक्रिया अग्रिम रूप से शुरू की जानी चाहिए ताकि अग्निशमन विभाग द्वारा समय के भीतर एनओसी/फिटनेस प्रमाण पत्र जारी किया जा सके।
44. उचित रखरखाव के लिए आवश्यक सभी उपकरण यथा ऊँची सीढ़ी, सुरक्षा उपकरण आदि की व्यवस्था सफल निविदादाता द्वारा की जायेगी एवम् उक्त व्यवस्था नियमित रूप से रखने का उत्तरदायित्व सफल निविदादाता का होगा।
45. अग्निशामक यंत्रों की रिफिलिंग के लिए परिवहन और लोडिंग/अनलोडिंग की समस्त जिम्मेदारी सफल निविदादाता की है। अग्निशाम यंत्रों की रिफिलिंग एक्सपायरी होने पर उनके रिफिलिंग करवाने में होने वाले समस्त व्यय सफल निविदादाता द्वारा किए जायेंगे जिसकी एवज में निगम द्वारा किसी भी प्रकार का भुगतान सफल निविदादाता को नहीं किया जायेगा।
46. आग की बाल्टियों में बालू भरना और क्षतिग्रस्त बाल्टियों को बदलने की पूरी जिम्मेदारी सफल निविदादाता की होगी
47. फर्म जीएसटी में पंजीकृत होना चाहिए और पंजीकरण पत्र/प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न की जानी चाहिए
48. सफल निविदादाता द्वारा अनुबन्ध राशि का 05 प्रतिशत बतौर सुरक्षा राशि का डी.डी/बैंकर्स चैक/बैंक गारन्टी निगम कोष में जमा करानी होगी।
49. सफल निविदादाता द्वारा आगार द्वारा की गई ब्रेक डाउन कॉल को अटेन्ड नहीं करने पर प्रतिदिन रु.2500/- रुपये का जुर्माना अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।
50. विभाग को बिना कोई कारण बताए अनुबंध किसी भी समय निरस्त करने का अधिकार है। कोटेशन न्यूनतम दर के आधार पर स्वीकृत होगी जो नियम और शर्तों के अध्याधीन होगी।
51. प्रारंभिक तौर पर अनुबंध एक वर्ष का होगा। संतोषजनक सेवा पाए जाने पर आगारीय समिति की अनुशंसा पर इसकी अवधि नियमानुसार बढ़ाई जा सकती है।
52. फायर फाईटिंग सिस्टम के सही प्रकार से संचालन नहीं होने की स्थिति में भवन के किसी भी हिस्से की क्षति के कारण हुए वित्तीय हानि को अर्नेस्ट मनी डिपोजिट/कार्य निष्पादन प्रतिभूति/बिल से लिया जाएगा तथा वसूल की गई राशि को सात दिवस में पुनः अर्नेस्ट राशि में जमा करवाकर अर्नेस्ट मनी को पूर्ण करना होगा।
53. इस कार्यालय के परिसर में ही कार्य किया जाएगा। हालांकि, कार्यालय के बाहर कार्य करने की आवश्यकता पड़ने पर इस कार्यालय बिल्डिंग के तकनीकी प्रभारी/स्थान प्रभारी/केयर टेकर से लिखित रूप से अनुमति ली जायेगी। नवीन भवन के तकनीकी प्रभारी द्वारा गेट पास दिया जाएगा। कार्यालय से बाहर कार्य करवाने पर/मरम्मत इत्यादि हेतु मशीन को ले जाने या लाने के लिए सफल निविदादाता को ही समस्त प्रकार के शुल्क वहन करने होंगे। निगम द्वारा किसी भी प्रकार के शुल्क/परिवहन शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।
54. ए.एम.सी. के तहत फायर फाईटिंग सिस्टम में किसी भी प्रकार की शिकायत होने पर उसे उसी दिन या अधिक से अधिक अगले दिन तक ठीक करना होगा अन्यथा रु. 1500/- प्रतिदिन के हिसाब से अर्थदण्ड आरोपित किया जाएगा।
55. ए.एम.सी. शुल्क का भुगतान, तिमाही आधार पर बिल सहित प्रमाण-पत्र जिसमें मशीन सेवा ली गई है और यह सही अवस्था में कार्य कर रही है, दर्शाने पर होगा।
56. किसी भी परिस्थिति में अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा। नियमानुसार जी.एस.टी./टीडीएस कटौती की जायेगी। अनुबन्ध के अनुसार सफल निविदादाता द्वारा कोट की गई

- फायर फाईटिंग सिस्टम के रख-रखाव शुल्क वार्षिक तौर पर होगा और इसमें सभी प्रकार के कर और लेवी शामिल होंगे ।
57. नवीन भवन के तकनीकी प्रभारी द्वारा दर्ज की गई सभी शिकायत, सूचना/निर्देशों पर सफल निविदा दाता ध्यान देगा। साथ ही नियमित तौर पर कार्यालय समय में और कार्यालय समय के परे आपातकालीन स्थिति में छुट्टी के दिन भी अपनी सेवाएं देगा।
 58. सफल निविदादाता का कार्य असंतोषजनक पाए जाने पर या अनुबन्ध की अवज्ञा होने पर, कार्य अन्य फर्म को सौंपा जाएगा जो डिफाल्टर कंट्रैक्टर के व्यय जोखिम पर होगा।
 59. ए.एम.सी. की पूर्ण अवधि के दौरान राशि में कोई वृद्धि नहीं की जाएगी। परिवहन किराया इत्यादि सेवाओं के लिए कोई अन्य सेवा शुल्क देय नहीं होगा ।
 60. सभी समावेशी दरों को शामिल कर प्रतिस्पर्धी दरों के अनुसार जो जैसा है वैसा ही के आधार पर ही कार्य सौंपा जाएगा।
 61. सफल निविदादाता समस्त प्रकार के रखरखाव एवम् उसके सुव्यवस्थित संचालन आदि के लिए उत्तरदायी होगा एवं इस कार्यालय में प्रत्येक कार्य दिवसों पर फायर फाईटिंग सिस्टम के उचित ढंग से कार्यकारी बनाए रखने हेतु अनुभवी टेकनिशियन/मैकेनिक की सेवा देनी होगी । इसे तत्काल प्रकृति का कार्य समझते हुए कार्यालय की आवश्यकतानुसार विषम परिस्थितियाँ और छुट्टियों के दौरान वे काम करने के लिए बाध्य होंगे। सफल निविदा दाता द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सभी ब्रेक डाउन कॉल पर त्वरित ही कार्य पूरा किया जाएगा। ठेकेदार को अनुबंध की अवधि के दौरान उनके प्रतिनिधि को प्रत्येक दिन फायर फाईटिंग सिस्टम की देखभाल के लिए इस कार्यालय में रिपोर्ट करना होगा।
 62. सफल निविदादाता द्वारा निर्धारित मानक के अनुसार विशिष्ट रूप से सभी सुरक्षा उपकरणों की जांच करने के लिए वार्षिक सुरक्षा परीक्षण किया जाएगा।
 63. उक्त कार्य के किसी भी काम के लिए उसके द्वारा लगाए गए कर्मियों के लिए विभाग किसी भी तरह के नुकसान के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। विभाग किसी भी कार्मिक के जीवन बीमा के लिए उत्तरदायी नहीं होगा या इस मामले में कोई आकस्मिक बीमा कवरेज नहीं होगा।
 64. भवन के तकनीकी प्रभारी, केयर टेकर, स्थान प्रभारी को फायर फाईटिंग सिस्टम को चालू अवस्था में सौंपे जाने एवम् तीनों प्रभारियों द्वारा प्रमाणिकरण रिपोर्ट के पश्चात् ही अंतिम तिमाही का भुगतान किया जाएगा।
 65. यदि सफल निविदादाता का काम किसी भी स्तर पर असंतोषजनक पाया जाता है या वह किसी भी तरीके से अनुबंध को अस्वीकार करता है, तो सफल निविदादाता द्वारा निगम में जमा कराई गई सुरक्षा जमा को जब्त कर लिया जायेगा तथा अनुबंध को रद्द कर दिया जायेगा।
 66. सफल निविदादाता अपने वर्कशॉप/कार्यस्थल में तथा अपने स्तर पर ब्रिजिंग (झलाई) और वेल्डिंग आदि की व्यवस्था करेगा।
 67. सफल निविदा दाता के पास एक रजिस्टर होना आवश्यक है, जिसमें शिकायतें दूर करने के बाद बिल्टिंग के केयर- टेकर से हस्ताक्षर प्राप्त करना होगा।
 68. सफल निविदा दाता को शिकायतों को दूर करने के लिए किसी भी समय या विशेष प्रयोजनों के लिए बुलाया जा सकता है। परंतु इस कार्य हेतु कोई अतिरिक्त शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा।

69. सफल निविदा दाता द्वारा लगाए गए कार्मिकों के द्वारा साइट पर काम करते समय सामान्य आचार संहिता और अनुशासन का पालन किया, जाना चाहिए।
70. सफल निविदा दाता द्वारा लगाए गए कार्मिकों द्वारा इस कार्यालय के सामान्य कार्यकारी समय का पालन किया जाएगा। उनसे अम्मीद की जाती है कि किसी विशेष परिस्थितियों में कार्य करने हेतु तकनीकी प्रभारी/स्थान प्रभारी/केयर टेकर की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
71. सभी प्रकार के श्रम कानून और अपरेटिस अधिनियम भवन और अन्य निर्माण श्रमिकों (नियोजन और सेवा की स्थिति का विनियमन) अधिनियम, 1996 और नवीनतम संशोधन के अनुसार भवन और अन्य निर्माण श्रमिक कल्याण उपकर अधिनियम, 1996 का पालन करने हेतु विक्रेता/कर्म के सभी मजदूर उत्तरदायी होंगे।
72. ए.एम.सी. कार्य सौंपने हेतु उपयुक्त प्राधिकारियों से प्राप्त सूचीबद्ध/पंजीकरण प्रमाण पत्र संलग्न करें।
73. सफल द्वारा मरम्मत/प्रतिस्थापन में प्रयोग में लाए गए पार्ट्स/पुरजे/उप पुरजे सिस्टम में मूल रूप से फायर फाईटिंग सिस्टम में लगाए गए सामान समकक्ष या उच्चतर और कार्यात्मक क्षमता वाले होने चाहिए।
74. जी.एस.टी. इनपुट क्रेडिट हेतु अपना जी.एस.टी. नम्बर आवश्यक रूप से उपलब्ध करवाना होगा अन्यथा जी.एस.टी. इनपुट का लाभ नहीं मिलने पर निविदादाता स्वयं उत्तरदायी होगा।
श्रीमान प्रबन्ध निदेशक महोदय के कार्यालय आदेश क्रमांक 232 दिनांक 25.08.2021 के द्वारा दिए गए निर्देशानुसार उक्त अनुबन्ध की शर्तों में **Dispute Resolution and Arbitration Clause** को भी निम्नानुसार शामिल किया जाता है:-
75. Dispute Resolution: Any dispute or difference whatsoever arising between the parties out of or relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof, shall, in the first instance, be resolved by referring such dispute or difference to the Standing Committee constituted vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017. The Standing Committee so constituted shall ensure full compliance with the office order referred to above.
76. Arbitration: If the second party (lessee/contractor etc.) does not wish to take recourse to the dispute resolution mechanism outlined vide Rajasthan State Road Transport Corporation's office order No. HO/Law/Gen/ 17/781 dated 03.10.2017 referred to above, or if the second party is not satisfied with the decision of the Standing Committee constituted there under, then such dispute or difference relating to the construction, meaning, scope, operation or effect of this contract or the validity or the breach thereof shall be settled by a Sole Arbitrator to be appointed by the first party (Rajasthan State Road Transport Corporation) following the qualifications and disqualifications laid down under Section 12 of the Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended.

सफल निविदादाता को उपर्युक्त उल्लेखित नियम और शर्तों की पूर्ति होने पर ही निविदा फार्म दिया जाएगा। निविदा समिति को बिना किसी कारण बताए किसी भी या सभी आवेदन/कोटेशन को निरस्त करने का अधिकार है।

मैंने उपरोक्त शर्तों को पढ़कर, समझकर, सुनकर मैंने हस्ताक्षर किये हैं। उक्त शर्तें मुझे मुझे पूर्णतया स्वीकार हैं।

(निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर)